>

Title: Need to provide ownership of land and caste certificates to migrated Bengali and Sindhi people living in Khajuraho Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh.

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला (खजुराहो): सन् 1956, 1962 एवं 1971 में बंगाली भाई पूरे देश में विस्थापित हुए थे, जिसमें मेरे खजुराहो संसदीय क्षेत्र के पन्ना जिला के ग्राम कुंजवन, जरूआपुर, बाबूपुर, खसेहा, समुनाई, अहिरगुवां एवं दमचुआ में इन्हें पट्टे देकर पुनर्वास किया गया, जिसकी वर्तमान संख्या लगभग 8 से 10 हजार है।

लेकिन हमारे बंगाली भाईयों को आज 40 से 50 साल बीत जाने के उपरांत भी पट्टों के मालिकाना हक नहीं दिये गये जिससे यह अपना स्वयं का रोजगार भी प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। इन बंगाली भाईयों के जाति प्रमाण पत्र भी मूल जाति के नहीं बनाए जाते हैं जिसके ये हकदार हैं, जिससे इन्हें नौकरी मिलने में भी परेशानी होती है।

साथ ही 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारा में सिंध प्रांत से हमारे सिंधी भाई बहुत बड़ी संख्या में मेरे खजुराहो संसदीय क्षेत्र के कटनी में आकर स्थापित हुए थे, हमारे सिंधी भाईयों को 1947 से 1993 तक पट्टे दिये गये, लेकिन 1993 से सरकार ने पट्टे देना बंद कर दिया है, जिससे करीब 200 सिंधी परिवार वंचित हो गये हैं और जिन सिंधी भाईयों को पट्टे मिल चुके हैं उन्हें 50 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी पट्टों का मालिकाना हक नहीं मिल सका, जिससे इन्हें भी बंगाली भाईयों की तरह बैंक से लोन एवं अन्य स्वयं के किसी भी रोजगार करने में काफी परेशानी होती है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र खजुराहो में रह रहे बंगाली एवं सिंधी भाईयों को जमीन के पट्टों का मालिकाना हक दिया जाए एवं इन्हें जाति प्रमाण दिया जाए ताकि ये लोग शिक्षा, रोजगार एवं अन्य आर्थिक सुविधाएं प्राप्त कर सकें।